

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/22643


दिनांक 17 अप्रैल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बूंदी से प्राप्त पत्र के क्रम में M/S Hare Krishana Alum & Chemicals, 6-A-3 Bapu Nagar, Bhilwara को निम्न शर्तों पर Alum & Chemicals भीलवाड़ा से बूंदी ले जाने हेतु ट्रान्सपोर्टेशन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


01. प्रत्येक व्यक्तियों यथा कार्मिक/वाहन चालक, वाहन, सामग्री/बॉक्स को समय समय पर सेनेटाईज किया जावे।
02. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
03. मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
04. उक्त व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम से कम रखी जाना सुनिश्चित करे।
05. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियों को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिंग करवाई जाकर मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावेगा।
06. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों की अक्षरक्ष: पालना सुनिश्चित की जावे।


(राजेंद्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
12. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।

15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा / समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
19. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
20. **M/S Hare Krishana Alum & Chemicals, 6-A-3 Bapu Nagar, Bhilwara**
21. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर / पुलिस अधीक्षक / समस्त उपखण्ड / समस्त तहसील


जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा